बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— **राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन के संबंध में।**

कैसर असाध्य रोग है, जिसका निदान प्रारंभिक चरणो में नहीं हो पाने के कारण अधिकांश मरीज काल कलवित हो जाते है। विभिन्न पारिस्थितिकी एवं अनुवांशिकीय कारणों से कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICMR) के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष एक लाख चालीस हजार कैसर के मामले सामने आ रहे है। राज्य सरकार द्वारा कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे है।

2. इस क्रम मे श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 15 एकड भूमि पर परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार के सहयोग से टाटा स्मारक अस्पताल, मुम्बई के तत्वाधान में होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। उक्त केन्द्र के विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त 30 एकड भूमि आवंटित की गई है और वहाँ 100 बेड के पैलिएटिव केयर सेंटर (Palliative Care Centre) के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही गंगवारा, दरभगा में सिर और गर्दन के कैंसर की विशिष्ट चिकित्सा हेतु 100 बेड के अस्पताल की स्थापना की गई है। इसके सचालन का दायित्व होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र को सौंपा गया है। राज्य के सभी जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम तथा छः चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में केमोथेरेपी की व्यवस्था का कार्य भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल एव अुनसंधान केन्द्र के माध्यम से ही किया जा रहा है। केमोथेरेपी के लिए आवश्यक दवाओं की अधिप्राप्ति का दायित्व भी इसी संस्थान को दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को गर्भाशय के मुँह के कैंसर (Cervical Cancer) से प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी टीकाकरण की योजना भी चलाई जा रही है।

3. उपर्युक्त सभी कार्यक्रम के समुचित प्रबंधन, समन्वय एवं अनुश्रवण तथा राज्य में कैसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण सहित कैंसर की रोकथाम तथा स्क्रीनिंग के फलस्वरूप निरंतर चिन्हित हो रहे मरीजों

की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण उनका पजीकरण एवं उनकी समयबद्ध चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु एक पृथक एव समर्पित शीर्ष सस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4 स्वास्थ्य विभाग के अधीन निम्न प्रकार बिहार कैसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी का गठन किया जाता है –

(i) इसका मुख्यालय स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना मे होगा, जिसकी शाखाए आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य स्थानो पर खोली जा सकेंगी।

(ii) होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र (HBCHRC), मुजफ्फरपुर के निदेशक इस सोसाईटी के शासी निकाय के पदेन सदस्य होगे और सोसाईटी को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(iii) सोसाईटी का एक शासी निकाय होगा जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार होगे।

(iv) शासी निकाय मे अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्य होगे –

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	–उपाध्यक्ष
(ख) सचिव, स्वास्थ्य विभाग (अथवा, जो विशेष सचिव से अन्यून स्तर का हो)	–सदरय
(ग) वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो सयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो)	–सदस्य
(घ) कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	–सदस्य
(ड) प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाए एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), पटना	–सदस्य
(च) परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी	–सदस्य
(छ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति	–सदस्य
(ज) कार्यपालक निदेशक, बिहार आयुष समिति	–सदस्य
(झ) निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, मुजफ्फरपुर	–सदस्य
(ञ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी	–सदस्य सचिव

(v) इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा कैंसर चिकित्सा क्षेत्र के 2 (दो) विशेषज्ञ, सदस्य के रूप में 3 (तीन) वर्ष के लिए मनोनीत किये जायेंगे। इनका पुनःमनोनयन किया जा सकेगा।

(vi) शासी निकाय की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेगे परन्तु मत बराबरी की स्थिति मे अध्यक्ष का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(vii) शासी निकाय की बैठक कम से कम प्रत्येक छः माह पर होगी।

(viii) सोसाईटी का एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ix) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग के लिए उनकी अध्यक्षता मे एक कार्यकारिणी समिति गठित की जायेगी, जिसके स्वरूप का निर्धारण सोसाईटी के बायलॉज द्वारा किया जायेगा।

(x) सोसाईटी के गठन के लिए सरकार द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ एसोशियएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन्स ऑफ बिहार कैसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी अनुमोदित किया गया है तथा सोसाईटी का गठन एव सचालन की कार्यवाही तदनुरूप की जायेगी।

(xi) सोसाईटी का निबंधन सोसाईटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत कराया जायेगा।

5 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक—16 05 2025 के मद सं0—31 मे स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जन कार्यालयों एवं जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालयों को दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(signature) 23/5/25

(शम्भू शरण)

अपर सचिव

ज्ञापांक—12/प0क0—09—01/2025 687(12) **पटना, दिनांक—**23/05/2025

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई—गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(signature) 23/5/25

अपर सचिव

ज्ञापांक–12 / प0क0–09–01 / 2025 687 (12) **पटना, दिनांक**–23/05/2025

प्रतिलिपिः– मा0 मुख्यमत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक–12 / प0क0–09–01 / 2025 687 (12) **पटना, दिनांक**–23/05/2025

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव

ज्ञापांक–12 / प0क0–09–01 / 2025 687 (12) **पटना, दिनांक**–23/05/2025

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना / परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / कार्यपालक निदेशक, बिहार आयुष समिति / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार / निदेशक, होमी भाभा कैसर अस्पताल एव रिसर्च सेन्टर, मुजफ्फरपुर / सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार / निदेशक, सभी सुपर स्पेशिलिस्ट, अस्पताल, बिहार / सभी सिविल सर्जन, बिहार / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना / विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–12/प0क0–09–01/2025 687 (12) **पटना, दिनांक–**23/05/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–12/प0क0–09–01/2025 687 (12) **पटना, दिनांक–**23/05/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–16 05.2025 में मद संख्या–31 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक–12/प0क0–09–01/2025 687 (12) **पटना, दिनांक–**23/05/2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस सकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव